

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 07/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती भगवतीबाई पत्नी शम्भुसिंह राव निवासी खेडी, आसोलियान की मादडी तह. मावली।
 2. श्री महेन्द्र सिंह पिता शम्भुसिंह राव निवासी खेडी, आसोलियान की मादडी तह. मावली।
 3. श्री विजयसिंह पिता शम्भुसिंह राव जरिये संरक्षक माता भगवतीबाई पत्नी शम्भुसिंह राव निवासी खेडी, आसोलियान की मादडी तह. मावली।
 4. श्री सूरजसिंह पिता शम्भुसिंह राव जरिये संरक्षक माता भगवतीबाई पत्नी शम्भुसिंह राव निवासी खेडी, आसोलियान की मादडी तह. मावली।
-प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शम्भुसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी खेडी, आसोलियान की मादडी तह. मावली।
 2. हजानी जुलेखा बी पत्नी हाजी मोहम्मद सली मुसलमान निवासी 25 लौहार कॉलोनी आयड उदयपुर। क्रेता
 3. श्रीमती जरीना बी पत्नी मोहम्मद इदरीस मुसलमान निवासी 25 लौहार कॉलोनी आयड उदयपुर। क्रेता
 4. हजानी खतीजा बी पत्नी हाजी मोहम्मद हुसैन मुसलमान निवासी लौहार कॉलोनी आयड उदयपुर। क्रेता
 5. ग्राम पंचायत बोयणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोयणा तह. मावली।
 6. श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली, तह. मावली।
 7. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा तह. मावली।
-विपक्षीगण

उपस्थित-1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी 2, 3, 4




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- : निर्णय :-

दिनांक : 31.01.2020


1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आसोलियान की मादडी पटवार हल्का बोयणा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 241, 245, 311, 313, 314, 424, 425, 427, 428, 432, 435, 438 किता 12 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा है जिसमें विपक्षी सं. 1 श्री शम्भुसिंह का नाम 1/2 एवं 1/2 हिस्सा अन्य खातेदार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। शम्भुसिंह जी को उक्त पैतृक जमीन विरासत में मिली है। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 329 मी., 332 मी., 333, 334, 433 किता 5 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा है जिसमें विपक्षी सं. 1 शम्भुसिंह का एवं मोहनसिंह का 1/3

Ashay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली



हिरसा अन्य खातेदार का राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। वर्तमान में ज्ञानू जमीनन्दी में अन्य दस्तावेज साथ संलग्न हैं। उक्त पैतृक जमीन उन्हें विरासत में मिली।

2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान इस प्रकार है :-



3. यह कि विपक्षी सं. 2 हजानी जुलेख बी, विपक्षी सं. 3 श्रीमती जरीना बी एवं विपक्षी सं. 4 हजानी खतीजा को आराजी नम्बर 332 मी. रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, 333 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, 334 रकबा 13 बीघा, 433 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा में शम्भु सिंह का जो 1/6 हिस्सा था वह तीनों को 1/18 - 1/18 - 1/18 हिस्से से अलग अलग जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2006 द्वारा विक्रय कर दी जिसके लिए न तो सहमति ली, न रकम ली, जमीन पर कब्जा हमारा है, कुंआ है जो 12 बिस्वा में हो 2 किलोमीटर दूर हैं। बिना कोई रकम दिये, बिना कब्जा लिये मौरूसी जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित कराया है वह हमारे मुकाबले नल एण्ड वोर्ड है। आराजी की पूरी जमीन बेचने का हक अधिकार नहीं है। विपक्षीगण सं. 2, 3, 4 क्रमश हजानी जुलेखा बी, श्रीमती जरीना बी एवं हजानी खतीजा ने बिना कोई रकम दिये फर्जी विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया जो हम प्रार्थीगण के मुकाबले नल एण्ड वोर्ड है। इसलिए उसके लिए सिविल न्यायालय से दस्तावेज रद्द कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शुन्य दस्तावेज को सिविल कोर्ट में दावा प्रस्तुत कर निरस्त कराना जरूरी नहीं होता है। विपक्षी शम्भुसिंह जी काफी वृद्ध व्यक्ति होकर सभी प्रकार के हित एवं लाभ नहीं देख सकते है न उचित निर्णय ले सकते हैं। लोगों के बहकावे में आकर जमीन को अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस करने पर आमादा है इसलिए उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद कराया जाना जरूरी है अन्यथा वे उक्त जमीन को अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीश आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देंगे। जमीन मौरूसी है। हम हमारी पैतृक जमीन से सदैव के लिए वंचित हो जावेंगे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि जमीन मौरूसी है तथा विपक्षी सं. 5 ग्राम पंचायत एवं विपक्षी सं. 6 तहसीलदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विक्रय पत्र के आधार

अथवा
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली



- पर आराजी नम्बर 332 मी., 333, 334, 433 किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा म्यूटेशन की कार्यवाही नहं करे, रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
4. यह कि विपक्षी शम्भुसिंह को पारिवारिक आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता नहीं है। परिवार में कोई विवाद नहीं है न कोई बीमार है जिसमें रूपयों की आवश्यकता हो। सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से निवृत्त हो चुके है तथा परिवार का खर्चा भी हम चला रहे है। इस प्रकार उन्हे उक्त मौरूसी जमीन अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का हक अधिकार नहीं हैं।
 5. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.07.2006 को उत्पन्न हुआ जब उपरोक्त जमीन की विक्रय पत्र व रेवेन्यु रिकार्ड की नकले प्राप्त की। इससे पूर्व भी दो माह पूर्व जब आपसी विवाद पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं।
 6. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। जमीन मौरूसी हैं। मौरूसी जमीन को विपक्षी सं. 1 को अन्य व्यक्ति को रहन बय बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मौरूसी जमीन में प्रत्येक वारिस को हिस्से अनुसार हक एवं अधिकार होता हैं जिससे वंचित होने की सूरत में कानून की शरण लेकर उचित दाद प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा कानून की मंशा अनुसार ही यह प्रार्थना पत्र वास्ते प्राप्त करने उचित अनुतोष प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी शम्भुसिंह जी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात या उसके किसी भी भाग को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, न अन्य के मार्फत करावें। विपक्षीगण सं. 6 तहसीलदार को पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त जमीन के रहन बय बक्षीस आदि के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, न अन्य से करावे तथा रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। विपक्षी सं. 5 ग्राम पंचायत एवं विपक्षी सं. 6 तहसीलदार को पाबंद किया जावे कि वे विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण सं. 2 हजानी जुलेखा बी, विपक्षी सं. 3 श्रीमती जरीना बी, एवं विपक्षी सं. 4 हजानी खतीजा के नाम म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं करे, न करावे। विपक्षीगण प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। न अन्य से करावें तथा जमीन में प्रवेश नहीं करें।
 7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी सं. 1 शम्भुसिंह के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क एवं ख में वर्णित आराजीयात को वे किसी अन्य व्यक्ति को रहन बय बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे न अन्य से करावें। विपक्षीगण सं. 2, 3, 4 को पाबंद किया जावे कि वे आराजी नम्बर 332 मी., 333, 334, 433 किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा जमीन में प्रवेश नहीं करे तथा हमारे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। प्रतिवादीगण

Ashay
सहायक कलेक्टर
(SDO) भावली



5. 6. 7 को पाबंद किया जावे कि वे रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। नोटिसन की कार्यवाही नहीं करें, न अन्य से करावें। तारीख में शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 5 के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 2, 3 व 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात 329 मी, 332 मी, 333, 334, 433 किता 5 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौजा आसोलियान की नादही में स्थित होना स्वीकार है तथा इस भूमि में शम्भुसिंह एवं श्री मोहनसिंह के नाम पर 1/3 हिस्सा दर्ज था यानि श्री शम्भुसिंह का 1/6 हिस्सा व मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा था। श्री मोहनसिंह ने आराजी नम्बर 332 मी., 333, 334, 433 कुल किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा के अपने हिस्से की भूमि को तारीख 18.05.2005 को श्रीमती जन्नत बी को बँह कर कब्जा सौंप दिया व बिकावनामा निष्पादित कर तारीख 21.05.2005 को रजिस्ट्री करा दी, तब से श्रीमती जन्नत बी काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रही है। इसी तरह श्री शम्भुसिंह ने भी आराजी नम्बर 332 मी., 333, 334, 433 कुल किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा में अपने 1/6 हिस्से में से उक्त आराजीयात का 1/18 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 को 1/18 हिस्सा विपक्षी नम्बर 3 को 1/18 हिस्सा विपक्षी नम्बर 4 को तारीख 18.05.2005 को बँह कर कब्जा सिपूरद कर दिया है व बिकावनामा निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है तब से श्री शम्भुसिंह के हिस्से की आराजी पर विपक्षीगण नम्बर 2, 3, 4 काबिज चले आ रहे है जिससे अब आराजी नम्बर 332 मी., 333, 334, 433 में श्री मोहनसिंह व श्री शम्भुसिंह का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इस कलम में बकाया इबारत हम विपक्षीगण की जानकारी में नहीं होने से स्वीकार नहीं हैं।

9. शम्भुसिंह द्वारा विपक्षीयां नम्बर 2, 3, 4 को आराजी नम्बर 332 मी, 333, 334, 433 किता 4 रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 1/18 हिस्से, 1/18, 1/18 हिस्से को अलग-अलग विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2006 से विक्रय कर कब्जा देना स्वीकार है। बकाया इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं। विवादित आराजीयात शम्भुसिंह के खातेदारी एवं आधिपत्य की है जिसे उन्हें रहन, बँह, बक्षीस करने का पूरा अधिकार होने से उन्होंने विपक्षी नम्बर 2, 3, 4 को अपने अधिकारों के तहत विक्रय की है व कब्जा सौंपा है व उक्त आराजीयात का प्रतिफल श्री शम्भुसिंह ने प्राप्त किया है। यह विक्रय पत्र वैध है तथा प्रार्थीगण भी इससे पाबंद है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि यह विक्रय पत्र प्रार्थीगण के मुकाबले नल एण्ड वॉर्डर्ड हो। ऐसे दस्तावेज को प्रार्थीगण जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेवे तब तक इस न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। श्री शम्भुसिंह जी वृद्ध जरूर है लेकिन अपना भला-बुरा सोचने-समझने की पूरी क्षमता रखते है व उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

Amthay
सहायक न्यायालय
(SDO) गवाली

प्रार्थीगण ने शम्भुसिंह के विरुद्ध गलत आरोप लगाये हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण उक्त आराजी हस्तान्तरण नहीं करना चाहते हैं। जमीन मौरूसी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मौरूसी साबित कर देने पर भी शम्भुसिंह की अन्य जायदाद में से प्रार्थीगण अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है, न प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता ही है, न ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही की जा सकती हैं। श्री शम्भुसिंह को जायज जरूरीयात के लिए धन की आवश्यकता होने से अपने अधिकारों के तहत भूमि को विक्रय की है तथा शम्भुसिंह विक्रय करने का पूरा हक व अधिकार हैं।

10. यह कि प्रार्थीगण को तारीख 01.07.2006 या अन्य किसी तारीख को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि न तो मौरूसी है, न प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार है, न प्रार्थीगण का कोई प्राइमाफैसी केस हैं। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
11. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात में श्री शम्भुसिंह का 1/6 हिस्सा व श्री मोहनसिंह का 1/6 खातेदारी आधिपत्य का होने से श्री मोहनसिंह ने अपना हिस्सा जन्नत बी को तारीख 18.05.2005 को बिकावनामा निष्पादित करा कब्जा सौंप दिया है तथा शम्भुसिंह ने अपने हिस्से की आराजीयात को विपक्षीयां नम्बर 2, 3, 4 को तारीख 18.05.2005 को बैह कर बिकावनामा निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है और कब्जा सौंप दिया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण जब तक उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करा लेवे तब तक इस न्यायालय में कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
12. यह कि प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में अपना कोई हक व अधिकार साबित करा देवे तो ऐसी स्थिति में विक्रय की गई भूमि श्री शम्भुसिंह व श्री मोहनसिंह के हिस्से में रखते हुए विपक्षी नम्बर 2, 3, 4 व जन्नत बी के हिस्से में रखाया जावे तथा प्रार्थीगण को अन्य आराजीयात में हिस्सा दिलाया जावे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण से हम विपक्षीगण को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।
13. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

amkay
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्राथमिक काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला- हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है, जो दस्तावेज से स्पष्ट है। भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का अपने हिस्से तक की भूमि का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
2. सुविधा का संतुलन- प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
3. अपूरणीय क्षति- चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
15. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मूल पुरुष दौलतसिंह जी के समय से चली आ रही है। विपक्षी सं. 1 शम्भुसिंह प्रार्थीगण का पिता/पति हैं। प्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि को विपक्षी सं. 2, 3, 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18.05.2005 को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया है। विपक्षी सं. 2, 3, 4 सद्भावी क्रेता हैं। वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होना जाहिर आया है। पैतृक सम्पत्ति में हिस्से की घोषणा के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेंगे।
16. अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षी सं. 1 यदि हिस्से से अधिक व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थीगणों को भारी क्षति होगी एवं अनायास ही प्रकरण में मुकदमेंबाजी बढेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित हुवे हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होने से दिनांक 13.07.2006 से भी विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसे यदि हटा दिया जाता है तो प्रार्थीगण खातेदार के

Ashay
सहायक कलेक्टर
(SDO) पत्रावली

साथ न्याय नहीं होकर प्रार्थीगण खातेदार को भारी क्षति होने की सम्भावना है। परन्तु विपक्षी सं. 2, 3, 4 सदभावी क्रेता होकर खातेदार हैं। इसलिए खातेदार को पाबंद किया जाना उचित नहीं है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेंगे। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रार्थीगणों के हिस्से तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलियान की मादडी पटवार क्षेत्र बोयणा की आराजी नम्बर 241, 245, 311, 313, 314, 424, 425, 427, 428, 432, 435, 438 किता 12 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 329 मी., 332 मी., 333, 334, 433 किता 5 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें। राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Alukey
(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

